

27.03.2026

S.P.P. उप.। पुल. लोवेश अनु., इर. हा. माफ़ी
पेश हुई जो आज हेतु स्वीकार की जाती-
है। गवाह नन्द सिंह P.W. 9 के बयान
पूर्व हुए। S.P.P. द्वारा गवाह उप.। को
रक़ सिद्धा। अन्य कोई साक्षी परीक्षित
होना शेष नहीं है। सा. अभि. (गवाह)
की जाती है। पता. वास्ते व. पुल.
दि. 09.04.2026 को पेश हो।

२७

प्रमोद कुमार शर्मा
अपर विला एवं सेशन न्यायाधीश क्रमिक
अदालत (राज.)